प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 21.03.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा की 04 बैटरी बरामद ।

दिनांक 20.03.2025 को थाना लोनी पर वादी मौ0 अहसान निवासी निठौरा रोड स्टैंड के पास खदीमा मस्जिद के पास लोनी गाजियाबाद द्वारा ई-रिक्शा की बैटरी चोरी होने के संबंध में तहरीर दी गई। जिस पर थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 21.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा निठौरा अण्डरपास के पास चौकी क्षेत्र अशोक विहार से उपरोक्त चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. तासीन पुत्र शगीर निवासी निठौरा रोड़, लक्ष्मी गार्डन लोनी गाजियाबाद 2. अरबाज पुत्र महबूब निवासी निठौरा रोड़, लक्ष्मी गार्डन लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा की 04 बैटरी बरामद हुई। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने मौका पाकर ये बैटरियां गली न 01 निठौरा रोड़ स्टैण्ड, खदीमा मस्जिद के पास लोनी गाजियाबाद से ई-रिक्शा से चोरी की थी, आज हम दोनों इनको बेचने ही जा रहे थे कि आपने हमें पकड़ लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. तासीन पुत्र शगीर निवासी निठौरा रोड़, लक्ष्मी गार्डन लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष
2. अरबाज पुत्र महबूब निवासी निठौरा रोड़, लक्ष्मी गार्डन गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मारपीट की घटना कारित करने वाले 01 अभियुक्त व 03 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 21.03.2025 को थाना शालीमार गार्डन पर वादिया पूनम पत्नी महेश निवासी सी 215 गली नं0-14 राजीव कॉलोनी थाना शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी कि दिनांक 20.03.2025 को मेरे पड़ोस में रहने वाले इसराईल पुत्र इसलाम, नरगिस पत्नी इसराइल, शबाना पत्नी दिलशाद, सीमा पत्नी शहजाद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर मेरे साथ, मेरे पति व बेटे के साथ मारपीट की है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा वादिया की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 115(2),352,351(2),351(3) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.03.2025 को ही उक्त घटना में संलिप्त 01 अभियुक्त इसराईल पुत्र इस्लाम निवासी म0 नं0 206 गली न0 14 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष व 03 अभियुक्ता 1. नरगिस पत्नी इसराइल निवासी म0नं0 206 गली न0 14 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष, 2. शबाना पत्नी स्व0 दिलशाद निवासी हाजी ईस्लाम के मकान में किरायेदार हाजीपुर बेहटा लोनी गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष, 3. सीमा पत्नी शहजाद निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष को उन्ही के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्तागण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास जारी है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ताओं से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि नरगिस पत्नी इसराइल वादिया के पति से बात करती थी। वादिया के बार बार मना करने पर नरगिस ने बात करना बन्द नहीं किया। इसी बात को लेकर अभियुक्त / अभियुक्तागण ने वादिया, उसके पति व बेटे के साथ मापरीट करने लगे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त / अभियुक्तागण का नाम व पताः-</u>

1. इसराईल पुत्र इस्लाम निवासी म0नं0 206 गली न0 14 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. नरगिस पत्नी इसराइल निवासी म0नं0 206 गली न0 14 राजीव कॉलोनी डीएलएफ शालीमार गार्डन जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।
3. शबाना पत्नी स्व0 दिलशाद निवासी हाजी ईस्लाम के मकान में किरायेदार हाजीपुर बेहटा लोनी गा0बाद उम्र करीब 35 वर्ष।
4. सीमा पत्नी शहजाद निवासी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 42 वर्ष।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्तागण का आपराधिक इतिहासः-</u>

- गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ताओं के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मारपीट का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

थाना शालीमार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल व चोरी का सामान बरामद।

दिनांक 19.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर लिखित सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 18.03.2025 की शाम में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा जी एच 7 सोसायटी क्रॉसिंग रिपब्लिक से फायर हाउस कैबिनेट के पाईप से नोजल व कपलिंग चोरी कर लिया गया है, उक्त सूचना पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश व घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 20.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त (1) दीपक यादव (2) कुशलवीर (3) नितिन को जल प्लांट के पास थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई मोटर साईकिल को चैक करने पर उसका नं0 UP16DF5478 होना पाया गया तथा यह मोटर साईकिल थाना क्षेत्र सेक्टर 39 कमि0 गौतमबुद्धनगर से चोरी है तथा अभियुक्तों के कब्जे से जी एच 7 सोसायटी मे चोरी की घटना से सम्बन्धित 01 नोजल व 03 कप्लिंग व 01 आरी का ब्लेड बरामद हुआ। उपरोक्त घटना के संबंध में पंजीकृत अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा-317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई एवं चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि हम सभी साथ मिलकर चोरी करते है तथा चोरी का सामान चलते फिरते कबाडी को बेचकर जो रुपये आते है उससे हम अपने शौक पूरा करते है जो मोटर साईकिल हमसे बरामद हुई है वह हम लोगो ने थाना क्षेत्र सै0 39 गौतमबुद्धनगर से चोरी की थी, उसी मोटर साईकिल से हमने जी एच 7 सोसायटी मे रेकी की थी तथा मौका पाकर हम लोगो ने वहां से आग बुझाने वाले उपकरण के नोजल व कप्लिंग चोरी कर ली थी। मोटर साईकिल व चोरी के सामान को हम बेचने की फिराक में थे कि उससे पहले पुलिस ने हमे पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

(1) दीपक यादव पुत्र रामेश्वर यादव हालपता सैन विहार गली न0 1 थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूलपता ग्राम हसनपुर थाना सहाबर जनपद कासगंज उम्र करीब 20 वर्ष।

(2) कुशलवीर पुत्र हरवीर सिंह निवासी गली न0- 13 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूलपता कस्बा छर्रा थाना छर्रा थाना जनपद अलीगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

(3) नितिन पुत्र लखमी सिंह हालपता गली नं0-12 सैन विहार थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद मूलनिवासी ग्राम गुठावली खुर्द सैदपुर रोड थाना कोतावली देहात जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 25 बर्ष।

बरामदगी का विवरण-

(1) स्पेलन्डर मोटर साईकिल बिना नम्बर प्लेट जांच से सही नं0 UP16DF5478 है जो थाना क्षेत्र सै0 39 गौतमबुद्धनगर से चोरी।
(2) 01 नोजल व 03 कप्लिंग जी एच 7 सोसायटी से चोरी
(3) 01 आरी का ब्लेड

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना सै0 39 गौतमबुद्धनगर में मोटर साईकिल चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।

दिनांक 21.03.2025 को वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 01.03.2023 को मेरी दोस्ती संजीव नाम के लड़के से हुई। संजीव ने मुझे शादी का झासा देकर दो साल से मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बना रहा है। अब संजीव मुझसे शादी करने के लिये मना कर रहा है। वादिया/ पीडिता की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 376 भा0द0वि0 में अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनांक 21.03.2025 को ही वादिया/पीडिता के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक संजीव पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी गिरधर एन्क्लेव राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद स्थायी पता नगला जंगी थाना करहल जनपद मैनपुरी उम्र करीब 27 वर्ष को अमृता पार्क के पास थाना साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त संजीव के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त संजीव से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि पीडिता व अभियुक्त संजीव की दोस्ती दो साल पहले हुई थी तभी से दोनों राजबाग थाना साहिबाबाद में किराये के मकान में साथ रहते थे। अभियुक्त संजीव अपने आप को कुँवारा बताकर वादिया/पीडिता को शादी का झासा देकर पिछले दो साल से शारिरिक सम्बन्ध बना रहा था। वादिया/पीडिता ने अभियुक्त संजीव को शादी करने के लिये कहा तो अभियुक्त संजीव ने अपने आप को शादीशुदा बताकर शादी करने से मना कर दिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अभियुक संजीव पुत्र श्री रनवीर सिंह निवासी गिरधर एन्क्लेव राजेन्द्र नगर थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद स्थायी पता नगला जंगी थाना करहल जनपद मैनपुरी उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त संजीव के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।